

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20, नियम 6-7, जाब्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर टिब्बी

निन अधिकारी :- स्वाति गुप्ता आर ए एस

वाद संख्या :- 060/2024

ओमप्रकाश पुत्र पृथ्वीराज जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी डबलीखुर्द तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।

लालचन्द पुत्र पृथ्वीराज जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी डबलीखुर्द तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।

-- वादीगण

बनाम

पृथ्वीराज पुत्र मोटाराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी डबलीखुर्द तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।

सावित्री देवी पत्नी पृथ्वीराज जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी डबलीखुर्द तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।

तहसीलदार (राजस्व) टिब्बी।

-- प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88, 53 आर.टी.ए. घोषणा एवं खाता विभाजन

डिक्री

दिनांक :- 13.08.2024

वादीगण की ओर से श्री विकास शर्मा अधिवक्ता की व प्रतिवादीगण की ओर से कुन्दनलाल की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 13.08.2024 को स्वाति गुप्ता आर ए एस पदेन सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, टिब्बी के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए होने पर आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि

(क) वादी संख्या 1 ओमप्रकाश को प्राप्त आराजी :- चक नम्बर 4 एम.एस.टी.-एस.एम. सहित के पत्थर नम्बर 188/341(12) किला नम्बर 14 ता 15/0.506, पत्थर नम्बर 189/341(11) किला नम्बर 14 ता 19/1.518, 20/2/0.202, पत्थर नम्बर 190/341(10) किला नम्बर 11/0.127 दक्षिण दिशा, 12/0.126 दक्षिण दिशा, किला नम्बर 19 ता 20/0.506 कुल 2.985 हैक्टर।
चक नम्बर 7 डी.वी.एल. के खाता संख्या 34/30 के पत्थर नम्बर 200/353(28) किला नम्बर 11/2/0.013 दक्षिण दिशा, किला नम्बर 12/0.044 दक्षिण पश्चिम कोर्नर सहित पूर्व दिशा, किला नम्बर 13/0.253, किला नम्बर 18/0.253 कुल 0.563 हैक्टर।

(ख) वादी संख्या 2 लालचन्द को प्राप्त आराजी :- चक नम्बर 4 एम.एस.टी.-एस.एम. सहित के पत्थर नम्बर 188/341(12) किला नम्बर 6 ता 7/0.506, पत्थर नम्बर 189/341(11) किला नम्बर 6 ता 9/1.012, 10/2/0.202, 11/2/0.202, 12 ता 13/0.506, पत्थर नम्बर 190/341(10) किला नम्बर 9 ता 10/0.506, 11/0.126 उत्तरी दिशा, किला नम्बर 12/0.127 उत्तरी दिशा कुल 3.187 हैक्टर।

प्लॉट नम्बर 7 डी बी एल के खाता संख्या 34/30 के प्लॉट नम्बर 200/353(28) किला नम्बर 10/2/0228 11/2/0215 उत्तरी बिगा 12/0209 पश्चिम बिगा (दक्षिण पश्चिमी कोर्नर को छोड़कर) कुल 0.652 हेक्टर।

आराखी के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाकर खाता जप्तसीम कर रकमराज अलग से कायम किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

तहसीलदार (राजस्व) टिब्बी को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि समस्त प्रकार से भार मुक्त होने की स्थिति में उक्तानुसार राजस्व सिकार्य में अकम किया जाकर लगान कायम किया जावे। भूमि की विषय (न्याय नहरी/बाराही/गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का छोड़ कटलाव नहीं किया जावेगा।

खर्चा फरीकैन अपना-अपना वहन करेंगे। आदेशानुसार फर्चा डिक्री जारी की जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो। निर्णय आज दिनांक 13.08.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(स्वाति गुप्ता)

उपखण्ड अधिकारी एडम्
पदेन सहायक कलक्टर
टिब्बी